तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टीए/5585/2025/हनुमानगढ़</u>** **हरनेक सिंह बनाम मुख्तयार कौर**	`

<u>एकल–पीठ</u>

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थितः–
श्री प्रदीप विशनोई, अभिभाषक प्रार्थी
श्री अमृतपाल सिंह वानर, अभिभाषक केवियटकर्ता

दिनांक : 07–07–2025

<u>निर्णय</u>

यह निगरानी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 270/2025 में पारित आदेश दिनांक 24–06–2025 के विरुद्ध धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है।

अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक प्रार्थी ने बहस मे ंकथन किया कि प्रार्थीगण /वादीगण हरनेक सिंह व बलजीत कौर के पिता चरण सिंह की चक 15 एमकेएस तहसील संगरिया के खाता संख्या 42/41 की कुल 15.942 हैक0 भूमि में 1/6 हिस्सा व चक 16 एमकेएस तहसील संगरिया के खातरा संख्या 57/60 की 19.041 हैक0 में 1/6 हिस्सा खातेदारी भूमि थी। इस भूमि के संबंध में वादी के पिता और पति चनणसिंह के बहन हरनाम कौर के पुत्र गुरदेव सिंह ने चनण सिंह को निसंतान फौत होना व्यक्त कर उसका प्रथम श्रेणी का कोई वारिस नहीं होना कथन करते हुए विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया। जिसके विरूद्ध मुख्तयार कौर व देव कौर पुत्रीयां चनण सिंह ने चुनौती देते हुए अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 204/1988 दिनांक 12–12–1988 को प्रस्तुत किया और कथन किया कि चनण सिंह की वे दो ही पुत्रीयां है अन्य कोई वारिस नहीं है। गुरदेव सिंह न तो चनण सिंह का वारिस है न ही संबंधी है। इस

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 5585 / 2025 / हनुमानगढ़** **हरनेक सिंह बनाम मुख्तयार कौर**	`
	वादपत्र में हरनाम सिंह का नाम जानबूझकर छिपाया और उसे पक्षकार नहीं बनाया, इसका विरोध करते हुए गुरदेव सिंह ने जवाबदावा दिया कि चनण सिंह अविवाहित था व लाऔलाद फौत हुआ है जिसके देहांत होने पर उसकी एकमात्र बहन हरनाम कौर थी जिसका पुत्र होने से प्रार्थी एकमात्र वारिस है तथा यह भी कहा कि वादीया मुख्तयार कौर व देवकौर, केहर सिंह पुत्र नथल सिंह जाति रामदासिया की पुत्री है चनण सिंह की नहीं। उनकी माता प्रताप कौर चनण सिंह के घर में बतौर नौकरानी रहती थी और यह कहते हुए वाद खारिज कर इंतकाल को विधिसम्मत होना दर्शित किया। हरनेकसिंह व बलजीत कौर वादी / प्रार्थीगण ने एक राजस्व वाद संख्या 07 / 1989 हरनेक सिंह बनाम गुरदेव सिंह प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15–01–1990 को दोनों वाद समेकित किए जाने का आदेश पारित कर दिया। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा निगरानी संख्या 14 / 90 में दिनांक 23–01–1996 को आदेश पारित कर चनण सिंह द्वारा हरनेक सिंह के पक्ष में की गई वसीयत की प्रमाणित प्रतिलिपि अभिलेख पर लिए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों वादपत्रों में 10 तनकीयात का निर्माण किया और साक्ष्य लेने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 28–05–2025 से प्रार्थी / वादी हरनेक सिंह के विरूद्ध तनकी संख्या 1 का निर्णय पारित कर वसीयत को अस्वीकार कर दिया और तनकी संख्या 2 का निर्णय मुख्तयार कौर व देव कौर के पक्ष में करते हुए उन्हें चनण की सम्पति का उत्तराधिकार घोषित कर दिया तथा तनकी संख्या 2 व 4 का निर्णय बिना किसी साक्ष्य के हरनेक सिंह के विरूद्ध पारित कर उन्हें उत्तराधिकारी नहीं माना तथा गुरदेव सिंह को भी चनण सिंह का उत्तराधिकारी नहीं माना और अपने निर्णय में भूमि में	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 5585 / 2025 / हनुमानगढ़</u>** **हरनेक सिंह बनाम मुख्तयार कौर**	`

से गुरदेव सिंह का नाम कलमजन किए जाने तथा वादग्रस्त आराजी / रिसीवरशुदा भूमि का कब्जा मुख्तयार कौर व देवकौर को सुपुर्द करने एवं रिसीवरी में जमाशुदा राशि भी वादीगण मुख्तयार कौर व देवकौर को दिए जाने की डिक्री दिनांक 28–05–2025 को पारित कर दी तथा डिक्री के अंत में आदेश की क्रियांविती 30 दिवस तक अथवा अपील में अन्य आदेश होने तक स्थगित करने का आदेश भी पारित कर दिया।

उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध हरनेक सिंह व बलजीत कौर द्वारा प्रथम अपील अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई जिसके साथ आदेश 41 नियम 5 सीपीसी का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपील के निर्णय तक अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री की पालना व प्रभाव स्थगित किए जाने का निवदेन किया। जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24–06–2025 को प्रकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया गया और स्थगन प्रार्थना पत्र पर कोई आदेश पारित नहीं किया जिसके विरूद्ध यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गई है उनका तर्क है कि प्रार्थी की ओर से अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील के साथ स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया और स्पष्ट किया कि वादग्रस्त आराजी पर खातेदार घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रार्थी द्वारा चाहा गया है, वर्णित भूमि प्रार्थी की पैतृक कृषि भूमि है। अप्रार्थी संख्या 1 अपने नाम गलत डिक्री प्राप्त की है। खातेदार चनणसिंह द्वारा प्रथम तो वादग्रस्त आराजी की वसीयत मुझ प्रार्थी के पक्ष में की गई थी। उस आधार पर प्रार्थी वादग्रस्त आराजी का खातेदार बनता है और द्वितीय यह कि प्रार्थी चनण सिंह का नैसर्गिक पुत्र है। उस आधार पर भी मुख्तयार कौर व देवकौर का सगा भाई होने से उत्तराधिकार के रूप में भी विधिक अधिकारी बनता है किंतु अधीनस्थ

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी / टीए / 5585 / 2025 / हनुमानगढ़</u>** **हरनेक सिंह बनाम मुख्तयार कौर**	`
	न्यायालय द्वारा मुख्तयार कौर व देवकौर का दावा स्वीकार कर हरनाम सिंह का न केवल वादपत्र खारिज किया है बल्कि बिना किसी साक्ष्य से उसे चनण सिंह का वारिस नहीं मानने का भी आदेश पारित किया है जो किसी भी सूरत में विधि सम्मत करार नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में अविधिक निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रथम अपील में स्थगन प्रदान नहीं किए जाने से विपक्षी द्वारा डिक्री की पालना करवाकर रिसीवरशुदा भूमि का कब्जा व जमा राशि प्राप्त कर ली जाएगी तो प्रार्थी को इससे अपूर्णीय क्षति कारित होगी। इसलिए उपरोक्त आधार पर प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में साबित होने के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जानबूझकर स्थगन आदेश पारित नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील अपीलार्थी का प्रथम राईट है जिसमें दौराने अपील वादग्रस्त आराजी को संरक्षित किया जाना आवश्यक है तथा अधीनस्थ न्यायालय की डिक्री की पालना स्थगित किया जाना जरूरी है क्योंकि यदि ऐसा नहीं किया गया तो रिसीवर की जमा राशि जो लाखों रूपये है विपक्षी द्वारा डिक्री की पालना करवाकर एकतरफा में प्राप्त कर ली जाएगी साथ ही भूमि पर से भी बिना किसी आधार के कब्जा प्राप्त कर लिया जायेगा और भूमि को अन्यत्र खुर्द–बुर्द कर दिया जाएगा क्योंकि वे पंजाब में निवास करती है उनका राजस्थान में कोई घरबार नहीं है। वे केवल भूमि को अपने नाम दर्ज करवाकर बेचान करने पर आमादा है। ऐसे में स्थगन आदेश प्रसारित कर उसे संरक्षित किया जाना न्यायोचित है। परन्तु ऐसा न कर अपीलीय न्यायालय द्वारा विपक्षी को डिक्री की पालना में भूमि खुर्द–बुर्द कर देंगे जिससे प्रार्थी के विधिक अधिकारों से हानि उठानी पड़ेगी। इसलिए अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थगन नहीं दिए जाने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 5585 / 2025 / हनुमानगढ़** **हरनेक सिंह बनाम मुख्तयार कौर**	`

की हद तक निरस्तनीय है। अंत में उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा जो निगरानीधीन आदेश पारित किया है उसमें विधिक त्रुटि कारित की है। अतः यह निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28–05–2025 की पालना एवं प्रभाव ताफैसला मूल अपील स्थगित किए जाने के आदेश पारित किए जावें।

अभिभाषक अप्रार्थी ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को उचित व कानून सम्मत बताया जिससे कि निगरानी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज किए जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा अभिभाषकगण उभयपक्ष को सुना गया। प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी को सुरक्षित रखा गया। इसके पश्चात कैवियटकर्ता के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया। कॉपी अपीलांट के अधिवक्ता को दिलाई गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण को स्थगन प्रार्थना पत्र पर सुना गया। स्थगन प्रार्थना पत्र पर निर्णय पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का अवलोकन किया जाना उचित है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तहत तलब हो। शेष रेस्पो0 के नोटिस जारी हो। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। यह निगरानी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश 24–06–2025 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है जिसमें अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश एक अंतरिम आदेश है जो कि अंतरिम

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी / टीए / 5585 / 2025 / हनुमानगढ़** **हरनेक सिंह बनाम मुख्तयार कौर**	`

आदेश है। चूंकि यह निगरानी अंतरिम आदेश के विरूद्ध होने से राजस्व मण्डल में पोषणीय नहीं है। अतः यह निगरानी ग्राहयता के स्तर पर ही निर्णित किया जाना उचित समझते हैं। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र का 30 (तीस) दिवस में निस्तारण हेतु निर्देशित करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह निगरानी निर्णित की जाती है एवं अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनकर उनके समक्ष लम्बित अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र का 30 (तीस) दिवस में निस्तारण करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(भवानी सिंह पालावत)
सदस्य